इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 3] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 16 जनवरी 2015—पौष 26, शक 1936

भाग ४

विषय-सूची

(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुर:स्थापित विधेयक.
(ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद के अधिनियम.
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अन्तिम नियम.

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

अन्तिम नियम

जन सम्पर्क विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

संशोधन आदेश

भोपाल, दिनांक 3 जनवरी 2015

क्र. एफ 5-4-2011-जसं-चौबीस.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 7 मई 2011 द्वारा राष्ट्रीय राज्य और संभाग स्तरीय पत्रकारिता पुरस्कारों के लिये नियम लागू किये गये थे. उक्त आदेश में राज्य शासन द्वारा राज्य स्तरीय पुरस्कार ''सत्यनारायण श्रीवास्तव'' के लिए जारी नियमों के बिन्दु क्रमांक 3 में यह शर्त रखी गई थी कि पुरस्कार दीर्घ कालीन उत्कृष्ट सेवाओं के लिये मध्यप्रदेश के वरिष्ठ पत्रकारों को देय होगा. वरिष्ठ पत्रकारों से अभिप्राय: कम से कम 25 वर्षीय पत्रकारिता के अनुभव से होगा.

2. राज्य शासन, एतद्द्वारा जारी नियमों के बिन्दु क्रमांक 3 में आंशिक संशोधन करते हुए ''वरिष्ठ पत्रकारों से अभिप्राय: कम से कम 15 वर्ष के पत्रकारिता के अनुभव से होगा'' करता है. शेष शर्तें यथावत् रहेंगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल माथुर, अपर सचिव.

श्रम विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 8 जनवरी 2015

क्र. एफ-4(बी) 1-2014-ए-सोलह.—न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (क्रमांक 11 सन् 1948) की धारा 3 की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 4 बी-1-2014-ए-सोलह तथा क्रमांक 4सी-1-2013-अ-सोलह, दिनांक 10 अक्टूबर 2014 के भाग 1 में अनुसूचित श्रेणियों के नियोजन में अकुशल श्रेणी के लिए पुनरीक्षित न्यूनतम वेतन दरों को संशोधित कर पुनरीक्षित करने का प्रस्ताव अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार ऐसे समस्त व्यक्तियों को जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है और एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रस्ताव पर ''मध्यप्रदेश राजपत्र'' में इस सूचना के प्रकाशित होने की तारीख से दो मास के अवसान होने पर विचार किया जाएगा.

ऐसी किसी आपत्ति या सुझाव पर जो किसी व्यक्ति से उक्त प्रारूप प्रस्ताव के संबंध में विनिर्दिष्ट कालावधि के अवसान होने के पूर्व प्राप्त हो, राज्य सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

प्रारूप–प्रस्ताव

राज्य सरकार, नीचे विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार कॉलम (1) में उल्लेखित अनुसूचित नियोजनों के संबंध में कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट श्रेणी हेतु कॉलम (3) में उल्लेखित पुनरीक्षित न्यूनतम मजदूरी तथा कॉलम (4) में उल्लेखानुसार परिवर्तनशील महंगाई भत्ते की दर प्रस्तावित करती है:–

नियोजन का नाम	कर्मचारियों का वर्ग / श्रेणी	मजदूरी की न्यूनतम दरें		परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की दरें
1	2	3		4
		प्रतिमाह	प्रतिदिन	
नियोजनों का विवरण स्पष्टीकरण क्रमांक 10 में उल्लिखित है।	अकुशल	6162.00	237.00	समय–समय पर देय अनुसूची के नीचे दर्शाये अनुसार

परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता टीप:– उपरोक्त अनुसूची के स्तम्भ 3 में दर्शाई गई वेतन दरों पर लेबर ब्यूरो शिमला द्वारा निर्मित औद्योगिक श्रमिकों के लिये अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 241 (2001=100) जनवरी 2014 से जून 2014 के आधार आंकडों के औसत पर आधारित है। 241 सूचकांक के उपर प्रति 6 माह में जो औसत वृद्वि होगी उसी अनुपात के स्तम्भ 3 में दर्शाई गई वेतन दरों में वृद्धि दिनांक 1 अप्रेल अथवा 1 अक्टूबर जैसी भी स्थिति हो, प्रतिबिंदु प्रतिमाह रूपये 25 के हिसाब से की जावेगी और स्तम्भ 3 में दी गई दरों में हुई यह वृद्वि स्तम्भ 4 के लिये परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता मानी जावेगी। एक अप्रैल से देय परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते में वृद्वि की गणना गत जुलाई से दिसंबर तक 6 माह के औसत सूचकांक के

आधार पर की जावेगी। इसी प्रकार एक अक्टूबर से देय परिवर्तनशील मंहगाई भत्तें में वृद्वि की गणना गत जनवरी से जून तक के 6 माह के औसत सूचकांक के आधार पर की जावेगी परिवर्तनशील महंगाई भत्ते में वृद्धि की घोषणा अधिनियम के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय–समय पर की जावेगी।

स्पष्टीकरण

1. इस अधिसूचना द्वारा जो मासिक वेतन निर्धारित किया गया है, वह कैलेण्डर मास की समाप्ति पर देय होगा। यदि किसी कर्मचारी ने अधिनियम एवं उसके अंतर्गत बनाये गये नियम के अनुसार कैलेण्डर मास के समस्त अवकाश के दिनों का लाभ उठाया हो और यदि कियी सन्दर्भ में एक दिन का वेतन संगणित करना हो तो उपरोक्तानसुार निर्धारित मासिक वेतन को 26 से भाग देकर संगणित किया जाएगा।

2. कर्मचारियों के प्रकार जो विभिन्न वर्गीकरण मे बताए गये हैं, वे उदाहरण स्वरूप हैं न कि विस्तृत तथा ऐसे वर्ग के कर्मचारी जो इस अधिसूचना में सम्मिलित नही है, के लिये न्यूनतम वेतन की दर वही होगी जो समान प्रकृति का काम करने वाले कर्मचारी को देय है।

3. अकुशल, अर्धकुशल कुशल, तथा उच्च कुशल कर्मचारी की सामान्य परिभाषा निम्नुनसार है :–

(क) "अकुशल कर्मचारी" वह है, जो ऐसे सरल कार्य करता है जिसमें स्वतंत्र निर्णय या पूर्व अनुभव की बहुत कम या बिल्कुल आवश्यकता नहीं पड़ती। यद्यपि व्यावसायिक परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक है। इस प्रकार शारीरिक श्रम के अलावा उसे विभिन्न वस्तुओं तथा माल व सेवाओं से परिचित होना अपेक्षित है।

(ख) "अर्धकुशल कर्मचारी" वह है जो सामान्यतः रोजमर्रा का एक निश्चित स्वरूप का कार्य करता हो, जिसमें कि उसके अधिक निर्णय, कुशलता तथा निपुणता की अपेक्षा न की जाती हो किंतु उसमे सापेक्षित रूप से ऐसे छोटे काम जो उसे सोंपे जायें, उचित रूप से करने की अपेक्षा की जाती हो ओर उसमें महत्वपूर्ण निर्णय दूसरे व्यक्तियों द्वारा लिये जाते हों, इस प्रकार उसका कार्य रोजमर्रा के एक जैसे समान कार्य करने तक ही सीमित है।

(ग) "कुशल कर्मचारी" वह है जो दक्षतापूर्वक कार्य कर सके, काफी स्वतंत्रता से निर्णय, बुद्धि का प्रयोग कर सके तथा जिम्मेदारी से अपने कर्तव्य का निर्वहन कर सके. उसे उस व्यवसाय, शिल्प या उद्योग का जिसमें वह नियोजित किया गया हो, पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान होना अपेक्षित है।

(घ) "उच्च कुशल कर्मचारी" वह है, जो तकनीकी एवं विशिष्ट स्वरूप का कार्य करने में पूर्ण रूप से दक्ष हो। काफी स्वतंत्रता से निर्णय, बुद्धि का प्रयोग कर जिम्मेदारी से अपने कर्तव्य का पालन कर सके एवं तकनीकी डिग्री या डिप्लोमाधारी हो। उसे उस व्यवसाय, तकनीकी शिल्प या उद्योग का जिसमें वह नियोजित किया गया हो, पूर्ण एवं विशिष्ट ज्ञान होना अपेक्षित है।

4. उक्त अधिसूचना न्यनूतम वेतन दरों का प्रवर्तन किसी भी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा, यदि प्रचलित वेतन की दरें न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरों से अधिक है, तो वह किसी भी दशा में कम नहीं की जायेगी ।

5. किसी भी स्थापना या उपक्रम में प्रचलित वेतन दरें अधिसूचित मूल न्यूनतम वेतन दरों तथा देय परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते के योग से अधिक होने पर यह समझा जावेगा कि स्थापना या उपक्रम द्वारा

अधिसूचित मूल न्यूनतम वेतन दर तथा परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते दिये जाने का पालन किया जा रहा है। यदि स्थापना या उपक्रम द्वारा देय न्यूनतम वेतन एवं परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते का योग अधिसूचित न्यूनतम वेतन एवं परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते के योग से कम है, तो श्रमिक अंतर की राशि के लिये पात्र होंगे।

6. उक्त अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी दरों में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 (क्रमांक 11 सन् 1948) की धारा 13 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन परिकल्पित किये अनुसार विश्राम दिवस के संबंध में पारिश्रमिक सम्मिलित है।

7. जहां कर्मचारी खण्डदर पर नियोजित हो वहां खण्डदर या इस प्रकार निर्मित की जावे, जो आठ घंटे दैनिक व छह दिन कार्य करने तथा एक दिन सवैतनिक अवकाश देने पर निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से कम न हो।

8. मजदूरी निर्धारण में पैसे तथा रूपये के गुणांको को पूर्णाक करके दैनिक एवं मासिक मजदूरी निर्धारित की जाएगी, वित्त विभाग के परिपत्र कमांक एफ 9–7/2006/नियम/चार दिनांक 20 सितम्बर 2006 मे पचास पैसे अथवा उससे अधिक पैसे हो तो, उन्हे अगले उच्चतर रूपये मे पूर्णाकिंत किया जावेगा और पचास पैसे से कम राशि को छोड दिया जावेगा।

9. यदि एक से अधिक नियोजन में एक ही स्वरूप का कार्य होता है तो कार्यरत कर्मचारियों को बेहतर दरे देय होंगी।

10 उक्त अनुसूची के स्तम्भ 1 में उल्लिखित एवं उद्देशित नियोजनों का विवरण निम्नानुसार है:–

(1) किसी कपास जिनिंग एवं प्रेसिंग कारखाने में नियोजन (2) वन उपज में नियोजन (3) मार्गो के निर्माण तथा अनुरक्षण या भवन निर्माण कार्य में नियोजन (4) किसी लोक मोटर परिवहन में नियोजन (5) किसी इंजीनियरिंग उद्योग में नियोजन (6) सिंचाई कार्यो के निर्माण तथा संधारण में नियोजन (7) किसी केमिकल्स तथा फार्मास्युटिकल्स में नियोजन (8) किसी आरा मिल में नियोजन (9) किसी तेल मिल में नियोजन (10) किसी चावल मिल आटा मिल या दाल मिल में नियोजन (11) किसी मुर्रापोहा निर्माणी में नियोजन (12) किसी खाद्य पदार्थ, जिसमें केक्स, बिस्किट्स, कन्फेक्शनरी, आईस्क्रीम, आईसकेंडी, सम्मिलित है एवं पेय के निर्माण में नियोजन (13) किसी पत्थर तोडने या पत्थर पीसने के कार्य में नियोजन (14) किसी दुकान वाणिज्यिक संस्थान आवासीय होटल रेस्टोरेंट तथा नाट्यगृह में नियोजन (15) किसी मुद्रणालय में नियोजन (16) किसी सीमेंट पोल अथवा सीमेंट से निर्मित उत्पादन में नियोजन (17) किसी प्लास्टिक उद्योग में नियोजन (18) किसी फयूएल कोक में नियोजन (19) किसी चूना भट्टा में नियोजन (20) किसी ईट भट्टों में नियोजन (21) किसी पावरलूम जिसमें सायजिंग एवं प्रोसेसिंग भी सम्मिलित है में नियोजन (22) किसी स्थानीय प्राधिकरण में नियोजन (23) किसी कोसा उद्योग में नियोजन (24) किसी खांडसारी उद्योग में नियोजन (25) किसी पाटरिज जिसमें रिफैक्ट्री समान फायर ब्रिक्स सेनेटरी वेअर्स इन्सूलेटर्स, टाईल्स, (सीमेंट से निर्मित टाईल्स को छोडकर) स्टोन वेअर्स पाईप्स, फरनेस लाइनिंग, ब्रिक्स तथा अन्य सिरेमिक्स समान सम्मिलित है में नियोजन (26) किसी कंबल निर्माण कार्य में नियोजन (27) किसी स्लेट पेंसिल निर्माण शाला में नियोजन (28) किसी कत्था उद्योग में नियोजन (29) किसी राजरज या गेरू के निर्माण में नियोजन (30) किसी हाथकरघा उद्योग में नियोजन (31) किसी बोन मिल में नियोजन (32) किसी टाईल्स जिसमें मेंगलोर टाईल्स अलाहाबाद टाईल्स तथा अन्य स्थानीय नाम से प्रचलित टाईल्स सम्मिलित है परंतु सीमेंट से निर्मित टाईल्स सम्मिलित नहीं है, के निर्माण में नियोजन (33) किसी विनिर्माणी प्रकिया जिसमें विनिर्माण प्रकिया जो कि कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 2 (क) में परिभाषित की गई, चलाई जाती है जो अनुसूची में दी गई किसी अन्य प्रविष्टि के अंतर्गत नहीं आती है में नियोजन (34) किसी प्रायवेट अस्पताल

जिसमें परामर्श केन्द्र तथा परीक्षण केन्द्र, विकृति विज्ञान, (पैथॉलाजिकल प्रयोगशाला) सम्मिलित है, में नियोजन (35) किसी प्रायवेट शैक्षणिक संस्थाओं, जिसमें कोचिंग केन्द्र भी सम्मिलित है, नियोजन (36) किसी अगरबत्ती उद्योग में नियोजन (37) किसी तैयार किये गये (रेडिमेड) वस्त्र विनिर्माणशाला में नियोजन (38) किसी खदान जैसे कंकड, मुर्रम, लेट्राईट, बोल्डर, ग्रावेल शिंगडा, साधारण रेती, बिल्डिंग स्टोन, रोड मेटल, अर्थ फुलर्स अर्थ और लाइम स्टोन तथा अन्य खदान जो खान अधिनियम की धारा 3 के अधीन छूट प्राप्त है, में नियोजन (39) किसी ऑटोमोबाईल्स कर्मशाला एवं मरम्मत हेतु संचालित गैरेजेस में नियोजन (40) किसी बैकरी में नियोजन (41) किसी कोल्ड स्टोरेज (शीतागार) में नियोजन (42) किसी दुकान तथा वाणिज्यिक स्थापना में नियोजन (43) किसी होटल रेस्टोरेंट या भोजनालय में नियोजन (44) किसी सिनेमागृहों या थियेटरों में नियोजन (45) किसी क्लब में नियोजन (46) किसी आसवनी या किसी अल्कोहलयुक्त पेय निर्माण में नियोजन (47) किसी अधिवक्ता या अटार्नी के कार्यालय में नियोजन (48) किसी हेअर कटिंग सेलून या ब्यूटी पार्लर में नियोजन (49) किसी उर्वरक या पेस्टीसाईड्स (कीट नाशक दवा) के विनिर्माण में नियोजन (50) किसी ड्रिलिंग प्रचालन या ट्यूबवेल के अनुरक्षण में नियोजन (51) किसी इलेक्ट्रॉनिक्स या सहबद्ध कार्य में नियोजन (52) किसी पेट्रोल या डीजल पम्पों में नियोजन (53) मिट्टी के किसी खुदाई कार्य में नियोजन (54) किसी सोने और चांदी की वस्तुओं के विनिर्माण में नियोजन (55) किसी ऑटो रिक्शा और टेक्सी चलाने के कार्य में नियोजन (56) किसी विपणन सेसायटियों, उपभोक्ता को–ऑपरेटिव्ह सोसायटी और सहकारी बैंक (को–ऑपरेटिव्ह बैंक) में नियोजन (57) किसी होजियरी में नियोजन (58) किसी साबुन निर्माण (जिसमें डिटर्जेंट भी शामिल है) में नियोजन (59) किसी डेयरी और दूध से उत्पादित वस्तुओं में नियोजन (60) किसी खिलौना निर्माण जिसमें कपडे से निर्मित खिलौने भी सम्मिलित हैं, में नियोजन (61) किसी सुरक्षा कार्य तथा डिटेक्टिव सेवाओं में नियोजन (62) किसी कुरियर तथा गैर सरकारी डाक सेवाओं में नियोजन (63) किसी डाटा प्रोसेसिंग कार्य में नियोजन (64) किसी अचार, बडी, पापड तथा ऐसे ही खाद्य पदार्थ प्रसंस्करण में नियोजन।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीनिवास शर्मा, उपसचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2015.